न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2017 निगरानी

1. कल्याण पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्योकरण गुर्जर पुत्र ओंकार गुर्जर जाति गुर्जर निवासी टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत टोडाठेकला तहसील लालसोट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा
2. सचिव ग्राम पंचायत टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा

गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध संकल्प संख्या 137 व निर्णय दिनांक 05.03.2014 जिसके तहत अप्रार्थी नं. 01 का वाके ग्राम टोडाठेकला में स्थित 200 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है।

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1।

—:निर्णय:— दिनांक: 09.05.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 01 के पास आवास हेतु ग्राम टोडाठेकला में मकान उपलब्ध होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से कानून का उल्लंघन करके और अप्रार्थी नं. 01 को वाके ग्राम टोडाठेकला में स्थित प्रार्थी के कब्जे की वन विभाग पहाडी की भूमि तथा स्कूल हेतु रास्ते के उपयोग की भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत को 100 वर्गगज का पट्टा 100 रूपये की दर पर निशुल्क आवंटन करने का अधिकार नही होते हुए भी दिनांक 05.03.2014 को निर्णय करके तथा संकल्प संख्या 137 पारित करके अप्रार्थी नं. 0 1 को ग्राम टोडा ठेकला में स्थित वन विभाग के पहाड की व स्कूल के आने जाने की रास्ते की व प्रार्थी के कब्जे की भूमि का अवैध तरीके से पट्टा जारी कर दिया जिसकी प्रार्थी को कतई जानकारी नही थी। उक्त ग्राम पंचायत टोडा ठेकला द्वारा जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.03.2014 संकल्प संख्या 137 दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की जाकर, ग्राम पंचायत टोडा ठेकला पंचायत समिति लालसोट का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार एवं अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 01 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी सं. 01 के पास आवास हेतु ग्राम टोडा ठेकला में मकान उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थी के कब्जे की पहाड की भूमि तथा स्कूल हेतु रास्ते की भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत को 200 वर्गगज का पट्टा 100 रूपये की दर पर निशुल्क आवंटन का अधिकार नही होते हुए भी दिनांक 05.03.2014 को संकल्प संख्या 137 पारित करके अप्रार्थी सं. 01 को पट्टा जारी कर दिया गया। नियम 158 के तहत मात्र उसी व्यक्ति को पट्टा जारी किया जा सकता है जिसके पास आवास नही हो, जबकि अप्रार्थी सं. 01 के पास ग्राम टोडा ठेकला में आवास हेतु मकान उपलब्ध है। उक्त पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.03.2014 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अधीन जारी किया गया है। जिसके अनुसार अधिकतम 150 गज भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 को 200 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया गया है। पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध मे विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पत्रावली में जगह जगह काट–छाँट की गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में किसी अन्य के नाम पट्टा जारी किया जा रहा था किन्तु काट–छाँट करके अप्रार्थी सं. 01 श्योकरण गुर्जर का नाम अंकित किया गया है। अतः पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.03.2014 संकल्प संख्या 137 दिनांक 05.03.2014 को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि उक्त अप्रार्थी सं. 01 को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी सं. 01 को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा ग्राम पंचायत टोडा ठेकला से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया। निगरानी प्रार्थना पत्र मे निगरानीकार द्वारा प्रार्थी के कब्जे की वन विभाग पहाड की भूमि तथा स्कूल हेतु रास्ते की भूमि का अप्रार्थी सं. 01 को पट्टा दिया जाना व्यक्त किया गया है। ग्राम पंचायत की मूल

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में उक्त पट्टा भूमि के किस्म का उल्लेख नही है। ग्राम पंचायत की आज्ञाओ की सूची में दिनांक 05.03.2014 को एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया गया जबकी तत्पश्चात दिनांक 05.03.2014 को ही आपत्ति नोटिस की अवधि समाप्त होना एंव इस दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नही होना अंकित किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट, भूमि की किस्म एवं आपत्तियों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच एंव कार्यवाही नही किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण ग्राम पंचायत टोडा ठेकला को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा सं. 31 दिनांक 05.03.2014 संकल्प सं. 137 दिनांक 05.03.2014 को खारिज किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत टोडा ठेकला पंचायत समिति लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टा भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर पट्टा जारी करने हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official